सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 18/18 **निर्णय दिनांकः– 10.07.2019**

1. अन्नाराम पुत्र नेनूराम जाति मेघवाल निवासी साजनवासी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. मगनाराम पुत्र रावताराम जाति मेघवंशी निवासी साजनवासी तहसील नोखा जिला बीकानेर। (फौत)
1/1. बाधू बेवा मगनाराम
1/2. जेठाराम पुत्र मगनाराम
1/3. सूरजा पुत्री मगनाराम
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30–11–2017 के विरुद्व पेश की, जिसके द्वारा वादी/अपीलांट्स का वाद रिकार्ड व कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि मौजारोही साजनवासी के पुराने खसरा नम्बर 59 तादादी 33.01 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 122 तादादी 3.87 हेक्टर एवं खसरा नम्बर 123 तादादी 4.49 हेक्टर कुल तादादी 8.36 हेक्टर में से वादी खसरा नम्बर 123 तादादी 4.49 हेक्टर भूमि पर संवत् 2005 से कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादगत् भूमि वादी के पिता स्व. नेनूराम ने अपने परिवार के जीवन निर्वाह हेतु संवत् 2005 में तत्कालीन भोगता ठाकर जसवन्तसिह से मुकाता (काश्त) पर ली थी। तब से ही वादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तत्पश्चात् वादग्रस्त भूमि निरन्तर बतौर टीनेन्ट काश्त केरूप में स्थाई रूप से देने की पूर्ण संविदा को स्थाई रूप दे दिया गया तथा जमाबन्दी संवत् 2017 से 2021 खाता संख्या 94 पुराना खसरा नम्बर 59 मिन में 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के नाम से जमाबन्दी में बतौर खातेदार दर्ज कर दी गई।

उन्होनें आगे बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व अमला से मिलीभगत करते हुए वादी/अपीलांट का नाम जमाबन्दी से हटवाकर अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली गई। जिसका प्रतिवादी को कतई अधिकार हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत करते हुए खातेदारी अधिकारों की धोषणा की इस्तदुआ की गई। वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कथन के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2017 से 2021 प्रस्तुत की गई जिसमें वादी/अपीलांट बतौर खातेदार दर्ज है। इसी क्रम में जमाबन्दी संवत् 2014 से 2021 जिसमें राजस्व रिकार्ड में वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त दर्शाया गया है प्रस्तुत किये गये थे। उक्त दस्तावेजों के आधार पर वादी/अपीलांट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 व संशोधित उपधाराओं के अनुसरण में स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार अपीलांट के पक्ष में निहित हो चुके है। वादग्रस्त भूमि पर वादी/अपीलांट का संवत् 2005 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आते ही वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होने के आधार पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी

अधिकारों का सृजन हो चुका है परन्तु इसक राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने पर वादी/अपीलांट द्वारा खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी हो गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सरोकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर संवत् 2005 से आज दिनांक तक निरन्तर वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 जानबूझकर अधिनस्थ न्यायालय व न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। वादी के दो अन्य भाई जिसमें से रामूराम का दिनांक 20—09—2016 को स्वर्गवास हो चुका है तथा उसका एक मात्र पुत्र बालाराम है जिसको पारिवारिक समझौते में अन्य भूमि दे दी गई है तथा फूसाराम दिनांक 02—02—1990 को लाऔलाद फौत हो चुका है। जिसका एकमात्र वारिस वादी ही है। इस प्रकार वादी/अपीलांट वादग्रस्त भूमि को अपने नाम से खातेदारी दर्ज कराने कर पूर्णतया हकदार है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र एडवर्स पजेशन को आधार मानते हुए अपीलांट/वादी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंधन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर अपीलांट को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2012 पेज 1395 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्व जिसके द्वारा अपीलांट्स/वादी का वाद खारिज किया गया है, प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा तमाम दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट् द्वारा वादगत् भूमि के कब्जे काश्त के बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये

है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट्/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् अब इस अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने निर्णय में उल्लेख किया है कि सवंत 2017 से 2021 के मध्य की जमाबंदियों में वादी का नाम सबटीनेन्ट के रूप में दर्ज रहा है। 2021 से 2065 के बीच की जमाबंदियां उपलब्ध नहीं होने तथा पुराने खसरा नम्बर 59 का नये खसरा नम्बर 123 से मिलान न होने के कारण साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज किया गया है।

परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपलब्ध जमाबन्दी सवंत् 2017—2021 के अनुसार खसरा नम्बर 59 मिन रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार राजू, अन्ना, फूसा पिसरान नानू कौम चमान दर्ज रहा है। उक्त अवधि का खसरा गिरदावरी में भी उक्त खसरा 59 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा पर रामू अन्ना फूसा की काश्त दर्ज होना उक्त भूमि पर रामू वगैरा की खातेदारी रकबा कब्जा काश्त की पुष्टि करते हैं तत्पश्चात् गिरदावरी सवंत् 2022 में खसरा नम्बर 59 के सम्पूर्ण 33 बीघा 01 बिस्वा रकबा पर रावता की काश्त का उल्लेख है। तत्पश्चात् गिरदावरी संवत् 2031—2033 के मध्य रामू वगैरा की काश्त 16 बीघा 10 बिस्वा पर दर्ज है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 59 मिन के दो नये खसरा नम्बर 122 व 387 है तथा 123 रकबा 4.49 हेक्टर बने। जमाबनदी संवत् 2017—2021 में रामू वगैरा के हिस्से के खसरा नम्बर 59 मिन का रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है। जिसके नये खसरा नम्बर 123 रकबा 4.49 हेक्टर है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वंश सजरा के अनुसार रावताराम तथा नानूरा सगे भाई थे। खसरा नम्बर 59

के आधे—आधे हिस्से पर काश्त करते रहे है। खसरा गिरदावारी से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। परीक्षण न्यायालय ने गिरदावरी को खातेदारी हकों का आधार नहीं माना है, परन्तु संवत् 2017—2037 तक की गिरदावरी पूर्व की जमाबंदियों की प्रविष्टियों की पुष्टि कर रही है। ऐसे अनुषंगिक रिकार्ड से पूर्व में सृजित रकबे पर रावताराम की काश्त दर्ज होने मात्र से जमाबन्दी तैया करते समय रामूराम वगैरा का नाम छोड़ते हुए केवल रावताराम का नाम अंकित कर दिया गया। अपीलांट का कथन है कि छोटे भाई नानूराम की कम उम्र में मृत्यु हो जाने तथा उसके पुत्र रामू वगैरा नाबालिग होने के कारण कुछ समय के लिये सम्पूर्ण रकबे की काश्त रावताराम द्वारा की गई थी। इसी आधार पर जमाबंदियों में सम्पूर्ण 33 बीघा भूमि पर केवल रावताराम का नाम दर्ज कर दिया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तत जमाबंदियों तथा खसरा गिरदावरियों में एक खसरा नम्बर 59 पर कभी सम्पूर्ण 33 बीघा रकबे पर तथा कभी आधे हिस्से पर रावताराम की काश्त दर्ज होना उपरोक्त स्थिति की ताईद करता है। अपीलांट के सगे भाई बालाराम द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से भी पारिवारिक समझौते के तहत भूमि के विभाजन की पुष्टि होती है। परीक्षण न्यायालय ने वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों की समुचित विवेचना किये बिना केवल बाद के वर्षो की जमाबंदियों में अपीलांट का नाम लगातार दर्ज न होने के आधार पर दावा खारिज करने में भूल की है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30—11—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 10—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर